न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—246/2018/75 (2018/00246)

1. बाबूलाल पुत्र छोगा, जाति बलाई, निवासी केरियाखुर्द, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. रामधन पुत्र श्योजीराम, जाति जाट, नि0 केरियाखुर्द, पटवार क्षैत्र उरसेवा, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
2. बी0एन0 गौड़ पुत्र नामालूम, जाति ब्राह्मण, निवासी केरियाखुर्द , तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
3. उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक, जिला जयपुर ।
4. सरकार जरिये तहसीलदार, मौजमाबाद, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
5. भैरूसिंह पुत्र देवीदान सिंह, जाति चारण, नि0 केरियाखुर्द, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

रेस्**पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान अतिरिक्त जिलाधीश (चतुर्थ), जयपुर दिनांक 28.2.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 23/2012.

उपस्थितः—

1. श्री बाबूलाल साहू, वकील अपीलांट ।
2. श्री बी0एस0राजावत एवं श्री अनिल शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री एन0एस0 पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 2.?
4. रेस्पो0 संख्या 5 अनुपस्थित ।
5. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 3 व 4 .

निर्णय

दिनांकः— 30.9.2019

1. यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिलाधीश (चतुर्थ), जयपुर के आदेश दिनांक 28.2.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नबर 450, 451, 452 गत नंबर 282 है जिनका कि किसी भी प्रकार से आवंटन प्रार्थीयान के पक्ष में तत्सयम आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नहीं किया गया है । अप्रार्थी बी0एन0गौड़ के पक्ष में नामांतकरण संख्या 52 दिनांक 28.6.1976 किस आधार पर एवं किस आवंटन आदेश के द्वारा दर्ज किया गया है, कतई साबित एवं स्पष्ट नहीं है । उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक कार्यालय से आवंटन आदेश दिनांक 28.6.1976 की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिये आवेदन किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से ऐसी कोई

आवंटन प्रोसिडिंग नहीं होना अवगत कराते हुए आवेदन लौटा दिया । ऐसी स्थिति में नुमाईशी दिखावटी एवं फर्जी आवंटन आदेश की पालना मे खातेदारी नामांतकरण नहीं खोला जा सकता है । प्रार्थी शिकायतकर्ता का विगत 60 वर्षो से इस भूमि पर कब्जा काश्त है जिन्हें कभी भी बेदखल नहीं किया गया है । पक्के मकानात सहित निवास है । उपखण्ड अधिकारी, सांभर द्वारा पारित निर्णय बिना आवंटन आदेश किया गया है जो अवैध है । कृषि भूमि आवंटन नियमों की कोई पालना नहीं की गई है । उपखण्ड अधिकारी की उक्त कार्यवाही एब इनिशियों वोइड है । जानकारी की तिथि से प्रार्थना पत्र अंदर मियाद है । प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है । अतः यह कमटपूर्ण होने के कारण खारिज योग्य है । अन्त में आवंटन नियम 1970 की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त करने एवं इस संबंध में दर्ज नामांतकरण संख्या 52 व 56 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सांभर ने प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) आदेश दिनांक 28.8.2016 द्वारा स्वीकार कर छोगा के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश को निरस्त करने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में सहायक कलक्टर, दूदू के यहां प्रकरण संख्या 21/1994 छोगा बनाम तहसीलदार, दूदू में दिनांक 9.12.1994 के द्वारा आवंटन नामांतकरण संख्या 55 दिनांक 9.9.1997 का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु लिखा गया था तथा खसरा नंबर 282/2 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 251/3 रकबा 4 बीघा ग्राम केरियाखुर्द तहसील दूदू हेतु वाद डिक्री किया गया था । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने डिक्री के माध्यम से प्रदत्त खातेदारी को प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने छोगा पिता अपीलांट बाबूलाल के आवंटन को निरसत करने का काई भी विधिसम्मत् आधार निर्णय में अंकित नहीं किया है । रेस्पो0 द्वारा अपीलांट व उसके पिता के वर्ष 1976 के आवंटन को लगभग 40 वर्षो बाद अंतर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत चुनौती दी गई थी जबकि गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार ही 10 वर्षो में प्राप्त हो जाते है ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के तहत पूर्णतया मियाद बाहर था जिसे अवैध, शून्य एवं क्षैत्राधिकार विहीन रूप से स्वीकार करने में अधी0न्याया0 ने गंभीर भूल की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि तहसीलदार की तथाकथित एकपक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट का कब्जा नहीं मानने में अधी0न्याया0 ने त्रुटि की है जबकि कब्जे की रिपोर्ट तैयार करते समय तहसीलदार द्वारा अपीलांट को नोटिस एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए कब्जा रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये थी । अधी0न्याया0 ने भी इस एकपक्षीय मौका रिपोर्ट को आधार मानकर विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा नहीं मानकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । अपीलांट द्वारा सन् 1976 से कब्जा काश्त संबंधी सभी शर्तो का आवंटन नियम 1970 के तहत पालन किया गया था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने आवंटन आदेश की शर्तो की पालना नहीं किया जाना अंकित कर आवंटन आदेश निरस्त किया है।

आवंटी द्वारा किन आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है इस संबंध मे अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में अंकित नहीं किया है जिससे भी अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि बरवक्त आवंटन भूमि उपलब्ध नहीं होना अपीलांट का दोष नहीं है बल्कि आवंटन सलाहकार समिति, उपखण्ड अधिकारी को ही सरकारी सिवायचक भूमि में से खाली भूमि का ही अपीलांट को आवंटन किया गया था जिसे अनुचित रूप से निरस्त करने में अधी0न्याया0 ने गंभीर भूल की है । अधी0न्याया0 ने लगभग 40–42 वर्षो बाद भारी मियाद बाहर प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलांट का आवंटन आदेश निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांट के पक्ष में पारित आवंटन आदेश दिनांक 28.6.1976 बाबत् खसरा नंबर 282 व खसरा नंबर 251 यथावत् रखा जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलांट मजदूरी पेशा व्यक्ति है जो ठेकेदार के साथ ईंट भट्टा पर काम करने के लिये पंजाब के चण्डीगढ़ जिले में दिनांक 20.2.2018 को चला गया था । लगभग 6 माह बाद अपीलांट बीमार होने पर अपने गावं लौटा था । अपीलांट के अधिवक्ता ने भी अपीलांट को तारीख पेशी पर नहीं आने की हिदायत दे रखी थी जिससे अपीलांट पूर्णतया आश्वस्त होकर पंजाब में मजदूरी कर रहा था । दिनांक 2.8.2018 को अपीलांट चलने फिरने की स्थिति में होने पर अपने अधिवक्ता से मिला तो उन्होंने निर्णय दिनांक 20.2.2018 की सर्वप्रथम जानकारी हुई । इससे पूर्व अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को निर्णय के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी थी जिससे निर्णय की दिनांक को अपीलांट को निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी थी । तत्पश्चात् अपीलांट ने निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन कर प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है। अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से विवादित भूमियों की मौका रिपोर्ट प्राप्त की है जिसमें तहसीलदार ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि आवंटित भूमि पर अपीलांट के पिता छोगा ने प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि पर तथा अगले वर्ष 75 प्रतिशत भूमि पर तथा तीसरे वर्ष में पूर्ण भूमि पर काश्त नहीं की है जिससे स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि आवंटी आवंटित भूमि पर लगातार काबिज काश्त नहीं रहा है तथा न ही वर्तमान में कब्जा काश्त है । यह भी अंकित किया है कि आवंटित खसरा नंबर में भूमि रिकार्ड नहीं थी इसके बावजूद आवंटन किया गया है जिससे उक्त आवंटन प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है । दस्तावेजी साक्ष्यों से आवंटी/अपीलांट के पिता का किया गया आवंटन केवल मात्र कागजी पाये जाने से अधी0न्याया0 ने आवंटन आदेश निरस्त किया है । विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम प्रकरण में सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है ।

वैसे भी किसी भी प्रकरण का तकनीकी आधार पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस द्वारा अपील के अनुतोष में यह अनुतोष चाहा है कि अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में पांचूराम बनाम शंकरलाल वगैरह एवं रामधन बनाम बी0एन0गौड़ के प्रकरण निरस्त किये जावे एवं अपीलांट बाबूलाल का आवंटन आदेश दिनांक 28.6.1976 बहाल रखा जावे । हाजा न्यायालय द्वारा अपील संख्या 245/2018/75 (2018/00245) बउनवान बाबूलाल बनाम पांचूराम वगै0 में दिनांक 30.9.2019 को अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में अपीलांट बाबूलाल की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित की गई है । इसी प्रकार अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में अपील संख्या 188/2018/75 (2018/00188) बउनवान बी0एन0 गौड़ बनाम रामधन व अन्य एवं एक अन्य अपील संख्या 189/2018/75 (2018/00189) बउनवान बी0एन0गोड़ बनाम बाबूलाल व अन्य एवं एक अन्य अपील संख्या 190/2018/75 (2018/00190) बउनवान बी0एन0गोड़ बनाम रामदेव व अन्य में दिनांक 30.9.2019 को निर्णय पारित कर उक्त अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये गये है । फलस्वरूप हस्तगत अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांटस सारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

निर्णय आज दिनांक **30.9.2019** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर